न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्त सिंह (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 518/2018

प्रार्थीः–

1. तहसीलदार(भूमिधारक), पाली

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. श्री मोहम्मद यासीन वल्द श्री मोहम्मद शरीफ जाति छीपा साकिन छीपों का बास, पाली।

उपस्थितिः–

1. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः– दिनांक - 26.08.2019

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी श्री मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद शरीफ जाति छीपा निवासी 10 छीपो का बास पाली के विरूद्ध ग्राम पाली चक प्रथम के ख.न. 1087/3 रकबा 2.10 बिघा किस्म नहरी दोयम भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग परिवर्तन करने पर धारा 177 की तहत प्रकरण उक्त भूमि को सरकारी घोषित करने हेतु बनाया गया हैं। जिसमें उक्त विविध प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु निम्न कारणों से पेश किया जा रहा है। ग्राम पाली चक प्रथम के खसरा नम्बर 1087/3 रकबा 2.10 बिघा किस्म नहरी दोयम के खातेदार मोहम्मद वल्द मोहम्मद शरीफ जाति छीपा निवासी 10 छीपों का बास पाली द्वारा इस प्रकरण के होते हुए किसी अन्य आदमी को बेचान/हस्तान्तरण करने की मंशा प्रकट हो रही है अतः इस प्रकरण मे और कोई पक्षकार उत्पन्न नहीं हो इस हेतु इन्हें पाबन्द कर उक्त भूमि का अग्रिम हस्तान्तरण नहीं करने हेतु स्थगन आदेश की आवश्यकता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे। ग्राम पाली के खसरा नम्बर 1087/3 रकबा 2.10 बिघा किस्म नहरी दोयम के खातेदार मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद शरीफ जाति छीपा साकिन 10 दीपो का बास पाली द्वारा उक्त कृषि भुमि पर वगैरह संपरिवर्तन के स्वरूप बदल दिया जाकर पक्का निर्माण होने से स्थिति बिगड़ सकती है। अतः इस भूमि मे किसी भी प्रकार से कोई निर्माण इत्यादि नहीं करें इस हेतु अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा पारित कर पाबन्द करना आवश्यक है।

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे गलत झुठ एवं मात्र क्यास के आधार खिलाफ काश्त अर्ज को होने से अस्वीकार है। धारा 212 आर.टी. एक्अ 1955 के तहत प्रार्थी श्रीमान के न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा की दादरसी जाने का मुस्तहक नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज के है। कानूनन धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के हत श्रीमान के न्यायालय से दादासी प्रापत करने हेतु 212 के तीनो तत्व प्राईमा फेसाई केस सुविधा का सन्तुलन एवं अकथनीय हानि होने निस्बत प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं होने निस्बत प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है जिससे कानूनन धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

नहीं होने से मय खर्चा काबिल खारिज के है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 के गलत झुठ एवं खिलाफ कानून मात्र कयास के आधार पर अर्ज की होने से अस्वीकार है। उक्त मे अर्ज अनुसार धारा 212 आ.टी.एक्ट. 1955 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा की दादरसी वाद ग्रस्त आराजी निस्बत पाने का कानूनन मुस्तहक नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा काबिल खारिज के है। अतः जवाब पेशकर निवेदन है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानून की मंशा के खिलाफ मात्र क्यास के आधार पर पेश हुआ होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4- बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

5- तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार) ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पाली चक प्रथम के खसरा नम्बर 1087/3 रकबा 2.10 बिघा किस्म नहरी दोयम के खातेदार मोहम्मद वल्द मोहम्मद शरीफ जाति छीपा निवासी 10 छीपों का बास पाली द्वारा इस प्रकरण के होते हुए किसी अन्य आदमी को बेचान/हस्तान्तरण करने की मंशा प्रकट हो रही है अतः इस प्रकरण मे और कोई पक्षकार उत्पन्न नहीं हो इस हेतु इन्हें पाबन्द कर उक्त भूमि का अग्रिम हस्तान्तरण नहीं करने हेतु स्थगन आदेश की आवश्यकता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे। ग्राम पाली के खसरा नम्बर 1087/3 रकबा 2.10 बिघा किस्म नहरी दोयम के खातेदार मोहम्मद द्वारा उक्त कृषि भुमि पर बिना संपरिवर्तन के स्वरूप बदल दिया जाकर पक्का निर्माण होने से स्थिति बिगड़ सकती है। अतः इस भूमि मे किसी भी प्रकार से कोई निर्माण इत्यादि नहीं करें इस हेतु अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा पारित कर पाबन्द करना आवश्यक है।

6- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट मे अप्रार्थी द्वारा विवाद ग्रस्त भुमि मे निर्माण कर रहे हैं जो जुबानी कथन हैं निर्माण कार्य होने बाबत अपने प्रार्थना पत्र के साथ मे किसी प्रकार कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया है एवं प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे स्थायी निषेधाज्ञा की दादरसी की मांग की गयी हैं जो कानून की मंशा अनुसार प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया की अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये स्थगन आदेश हेतू तीन तत्व जो कि प्राईमाफेसाईकेस, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानि होने के स्थिती मे दिया जा सकता है। उक्त तीनो तत्वो मे से एक तथ्य नहीं है। निषेधाज्ञा नहीं दिया जा सकता है। अगर प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है तो अप्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि प्राप्त हक हकूक से महरूम रह जावेगा। जबकि अप्रार्थी वाद ग्रस्त भूमि के खातेदार है एवं मौके पर काबिज एवं काश्त करता हैं। अगर उनके विरूद्ध स्थगन आदेश न्यायालय से जारी किया जाता है तो अप्रार्थी को अकथनीय हानी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी। अंत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है उक्त प्रकरण मे नोटिस के साथ 212 के प्रार्थना पत्र नकल भेजी गयी है उसमे स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गयी है जो कानूनन प्रदान नहीं कि जा सकती एवं मूल प्रार्थना पत्र मे स्थायी निषेधाज्ञा की जगह अस्थायी शुद्धी की गयी की नकल कतई नहीं दि गयी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाई जावे।

7- पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पाली चक प्रथम के ख.न. 1087/3 रकबा 2.10 बिघा किस्म नहरी दोयम भूमि के खातेदार मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद शरीफ जाति छीपा निवासी 10 छीपों का बास पाली है। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये स्थगन आदेश

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

हेतू तीन तत्व प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानी होने के स्थिती मे दिया जा सकता है। उक्त तीनो तत्वो मे से एक भी तथ्य नहीं है। अगर उनके विरूद्ध स्थगन आदेश न्यायालय से जारी किया जाता है तो अप्रार्थी को अकथनीय हानी हो जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी।

8- उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते है। प्रार्थी ने ऐसे कोई साक्ष्य,सबूत,दस्तावेज इत्यादि पेश नहीं किये जिससे कि प्रथम दृष्टया प्रार्थी का कथम सिद्ध हो अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी किया जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner